भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3272

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

अवमानना के लंबित मामले

3272. प्रो. सौगत राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमानना के मामलों में अनुमति देने के लिए महान्यायवादी किसी मानदंड का पालन करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवमानना के मामले दर्ज करने की अनुमति देने के लिए भारत के महान्यायवादी के पास लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) देश में न्यायलय के फैसले की आलोचना की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायालय के आपराधिक अवमान के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए सम्मति प्रदान करने की शक्ति न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अधीन भारत के महान्यायवादी को कानूनी रूप से प्रदत्त है । यह शक्ति महान्यायवादी द्वारा अपने सर्वोत्तम निर्णय द्वारा प्रयोग की जानी अपेक्षित है । इस संबंध में महान्यायवादी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले सिद्धांत न्यायालय अवमान अधिनियम के उपबंधों से उत्पन्न होते हैं और आपराधिक अवमान की परिभाषा उसकी धारा 2(ग) में अंतर्विष्ट है । धारा 2(ग), निम्न प्रकार पढ़ी जा सकती है :--

"आपराधिक अवमान" से किसी भी बात का (चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपणों द्वारा, या अन्यथा) प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य ऐसे कार्य का करना अभिप्रेत है—

(i) जो किसी न्यायालय को कलंकित करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसे कलंकित करने की है अथवा जो उसके प्राधिकार को अवनत करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसे अवनत करने की है ; अथवा

(ii) जो किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक् अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, या उसमें हस्तक्षेप करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की है ; अथवा

(iii) जो न्याय प्रशासन में किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की है अथवा जो उसमें बाधा डालता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें बाधा डालने की है ;

इसके अतिरिक्त, कानूनों में निहित सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का अतिप्रवाह है । इन विनिश्चयों का अनुपात प्रत्येक मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है और उसके आधार पर महान्यायवादी द्वारा विनिश्चय लिया जाता है कि सम्मति देनी है या नहीं देनी है ।

वर्ष 2019 से आगे, अवमान कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए सम्मति प्रदान करने हेतु 100 से अधिक अनुरोध महान्यायवादी द्वारा निपटाए गए हैं । वर्तमान में, केवल 1 अनुरोध लंबित है ।

पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान, अवमान कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए सम्मति हेतु उन्हें किए गए 18 अनुरोधों के संबंध में महान्यायवादी द्वारा सम्मति प्रदान की गई है । वर्ष-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :--

2020 – निम्नलिखित मामलों में सम्मति प्रदान की गई थी :

(1) श्री कुनाल कामरा द्वारा तारीख 11.11.2020 के ट्वीटों के संबंध में, श्री अभ्युदय मिश्रा, श्री अमय अभय सिरसकर, श्री प्रतीक बसाले, श्री स्कंद बाजपेयी, श्री अभिषेक शरद रास्कर, सुश्री नितीका दुहान, श्री श्रीरंग कात्नेश्वरकर और श्री सतेन्द्र विनायक मुले को तारीख 20.11.2020 को सम्मति दी गई है ।

(2) श्री कुनाल कामरा द्वारा तारीख 18.11.2020 के ट्वीट के संबंध में, श्री अभ्युदय मिश्रा, श्री स्कंद बाजपेयी को तारीख 18.11.2020 को सम्मति दी गई है ।

(3) सुश्री रचिता तनेजा द्वारा तारीख 11.11.2020 के ट्वीटों के संबंध में, श्री आदित्य कश्यप को तारीख 01.12.2020 को सम्मति दी गई है ।

2021 – निम्नलिखित मामले में सम्मति प्रदान की गई थी :

(1) श्री अजीत भारती द्वारा तारीख 24.06.2021 को अपलोड किए गए अपने यू-ट्यूब वीडियो में किए गए कथनों के संबंध में, सुश्री कृतिका सिंह को तारीख 14.09.2021 को सम्मति दी गई है ।

2022 – निम्नलिखित मामलों में सम्मति प्रदान की गई थी :

(1) श्री अजीत भारती द्वारा नवंबर, 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर किए गए कथनों के संबंध में, श्री प्रतीक कुमार को तारीख 01.02.2022 को सम्मति दी गई है ।

(2) श्री यती नरसिंहानंद द्वारा जनवरी, 2022 में किए गए कथनों के संबंध में, श्री अफशान हाशमी, सुश्री अश्मा हाशमी, सुश्री साची नेली और श्री एस.एच. सिद्दीकी को 21.01.2022 को तथा सुश्री एस.टी. दामोर को 03.02.2022 को सम्मति दी गई है ।

(ङ): सरकार को न्यायपालिका के लिए उच्चतम सम्मान है और निर्णयों की आलोचना, यदि कोई हो, सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाती है ।